[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 13 June, 2018

G.S.R......(E).- In exercise of the powers conferred by section 247 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Second Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, in rule 19, in sub-rule 2, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(h) Presidents of, the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Cost Accountants of India as ex-officio members.".

[F.No.1/27/2013-CL-V(Part)]

Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1316(E), dated the 18th October, 2017 and subsequently amended vide number G.S.R. 155 (E), dated the 9th February, 2018.

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 🛭 जून, 2018

सा.का.िन. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में, नियम 19 के उपनियम (2) में, खंड (छ) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
- "(ज) पदेन सदस्यों के रूप में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष।"।

[फा.सं. 1/27/2013-सीएल-V (पार्ट)]

के.वी.आर. मूर्ति),

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. संख्या 1316(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि.155(अ) तारीख 09 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।